झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
(झालसा)

तेजाब हमले से पीड़ित (Acid-Attack Victims) के लिए मुआवजा योजना

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 129/2006 लक्ष्मी बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड सरकार ने अधिसूचना संख्या 3755 दिनांक 3.8.2012 द्वारा Jharkhand Victim Compensation Scheme 2012 में एसिड हमलों से पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु परिशिष्ट-11 के रूप में यह जोड़ा है:

   "एसिड हमलों के पीड़ितों के उचित देखभाल एवं पुनर्वास हेतु रूपया 3,00,000/- (तीन लाख) का भुगतान पीड़ित को किया जायेगा इसमें से 1,00,000/- (एक लाख) रूपया का भुगतान पीड़ित को घटना घटित होने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर किया जायेगा तथा शेष राशि रूपया 2,00,000/- (दो लाख) मात्र का भुगतान इसके बाद दो माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा।"

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (क्रिमिनल) 129/2006 (लक्ष्मी बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया) में पारित आदेश में कहा है कि अगर ऐसिड हमले से पीड़ित के द्वारा मुआवजा का दावा किया जाता है तो इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक बोर्ड के माध्यम से देखेगी जिसमें जिला जज तथा वैसे लोग रहेंगे जो जिला जज के नजर में मामले में मददगार हो सकते हैं विशेष रूप से जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा असैनिक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी और ये "क्रिमिनल इंजूरीज कम्पेनशेसन बोर्ड" के तौर पर कार्य करेंगे।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त केस में यह भी आदेश दिया है कि निजी अस्पताल/क्लिनीक ऐसीड हमले से पीड़ित की चिकित्सा से इंकार नहीं कर सकते एवं पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जायेगी एवं पीड़ित की स्थिति स्थिर होने पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए उसे स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. अस्पताल/क्लिनीक जो ऐसीड हमले से पीड़ित की चिकित्सा से इंकार करते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

5. मुफ्त चिकित्सा के अन्तर्गत न केवल जख्मों का इलाज बल्कि दवाएं, बिस्तर तथा भोजन भी अस्पताल में उपलब्ध कराना शामिल है।

6. अस्पताल/क्लिनिक जहाँ एसीड हमले से पीड़ित की प्राथमिक चिकित्सा की गई है वह इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे कि वह व्यक्ति ऐसीड हमले से पीड़ित है जिसका इस्तेमाल पीड़ित द्वारा चिकित्सा में या किसी अन्य योजना का लाभ लेने में किया जा सकता है।

केवल जन जागरूकता के लिए

- किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या न्याय सदन, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची (0651-2481520) Website : www.jhalsa.org, Email : jhalsaranchi@gmail.com, फैक्स - 0651-2482397.
- (जिला स्तर पर सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- सूचना - यह सामग्री केवल जन जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।

न्याय सदन, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची
यह पाठ्य–सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।
प्रकाशन वर्ष – 2015